सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 300
06/03/2010

मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बिल पारित कराने में समर्थन की अपील की

पटना, 06 मार्च 2010 :– आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित किये जाने की वकालत करते हुये कहा है कि चौदह वर्षों से इस विषय पर चल रहे डिबेट के बाद इसे पारित कराये जाने का वक्त आ गया है।

आज बिल्डर ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1996–97 में एक सांसद के रूप में महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में हमने अपना नोट ऑफ डिस्सेंट दिया था किन्तु नवम्बर 2005 में बिहार में अपनी सरकार बनने के बाद नगर निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का अनुभव, महिलाओं में आयी चेतना, उत्साह और उनकी भागीदारी को देखते हुये अच्छा रहा है। महिलायें अब एक प्रभावी वर्ग के रूप में उभरकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है कि इस विधेयक को अब संसद द्वारा पास किया जाना चाहिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण होरिजेन्टल हो, सामान्य वर्गों में और महिला वर्गों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण दिये जाने के मामले में प्रयास जारी रखा जाना चाहिये और फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पास कराने में सहयोग करना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे अन्य नेताओं से भी गुजारिश करेंगे।

******